न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 73/2018

ताराचन्द पुत्र श्री खुमाणा उम्र 50 साल जाति जाट निवासी ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... प्रार्थी

बनाम

1. बिरजु पुत्र श्री खुमाणा
2. जगदीश पुत्र खुमाणा
3. सुगनी बेवाह स्व. राजकुमार
4. राकेश पुत्र स्व. राजकुमार
5. अंकित पुत्र स्व. राजकुमार
6. पिंकु पुत्री स्व. राजकुमार
7. भगवानाराम पुत्र लिछमण
8. ओमप्रकाश पुत्र लिछमण
9. शुभकरण पुत्र लिछमण
10. श्रामलाल दत्तक पुत्र कुशला

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

11. श्रीमान तहसील भू. अभिलेख फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री सुरेश चौधरी– प्रार्थी
श्री महेश चौधरी – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2018

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 422 रकबा 4.0300 हैक्टर खसरा नंबर 421 रकबा 4.0300 हैक्टर [illegible] ग्राम बिराणियां पटवार हल्का बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसे वाद पत्र में आगे वाद पत्र में विवादित [illegible] की भूमि के नाम से [illegible] किया जावेगा। [illegible]

[illegible]

[illegible] खसरा नम्बर का रास्ता पगडण्डीनुमार मौके पर मौजूद है राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त रास्ता कटा हुआ नही है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में कटावा चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के खेत में जाने वाला आ रास्ता वाके ग्राम बिराणियां से चलकर ग्राम दांतरू रास्ता जाता है, उक्त कटानी रास्ता है जिसके खसरा नम्बर 421 रकबा 4.0300है0 जिसमें से होकर एक पगडण्डीनुमा आम प्रचल रास्ता खेत खसरा नंबर 422 में प्रवेश करता है। उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार अपने खे कृषि हेतु उपयोग में लिये जाने वाले कृषि यंत्र व अपने खेत से अनाज व पशुओं को लाने व ले जाने इत्यादि कार्यों के लिए काफी वर्षो से उपयोग–उपभोग में लिये जाने वाला प्रचलि पगडण्डीनुमा रास्ता मौके पर 15 फुट मौजूद है। बल्कि उपरोक्त पगडण्डीनुमार रास्ता का राजस्व रेकार्ड में टंकन नहीं है। उपरोक्त रास्ते को खसरा नंबर 421 में से होते हुये खसर नंबर 422 तक राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते को मुझ प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की कृषि भूमि में से पगडण्डीको आम प्रचलित रास्ते 15 फुट में कटवाना चाहता हूं जिसकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से रास्ते की भूमि की कीमत बनती है वो प्रार्थी जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री महेश चौधरी एड. ने वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 10 की बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1478 दिनांक 27.06.2018 से प्राप्त हुई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर व इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को 15 फीट चौड़े रास्ते की अलांतिक आवशकता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थी को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	खातेदार का नाम
1	421	4.03है0	गै. मु. बा.1	15 फीट	रामलाल दत्तक पुत्र कुशला हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर

इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता एवं अलातिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 27.06.2018 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायलय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की रशि की गणना नहीं की जावे।
2. प्रार्थी द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप किया जावेगा। जो डीएलस द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशिके बराबर होगी।
3. प्रार्थी नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो
4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।
5. प्रार्थी को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित होगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

   उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

   पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुले कैम्प कोर्ट बलोद छोटी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)